राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 जयपुर, दिनांक 13 JUL 2020

आदेश

विषयः– कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये जाने से पूर्व भूमि पर किये गये निर्माण के संबंध में।

नगरीय क्षेत्र में 90(क) की कार्यवाही से पूर्व निर्माण होने की स्थिति में 90(क) की कार्यवाही हेतु सभी निकायों में एकरूपता रखने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है–

1. 90(क) की कार्यवाही से पूर्व/मौके पर किये गये निर्माण यदि भवन विनियम के मानदण्डों के अनुरूप हो तो भवन निर्माण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त बिना स्वीकृति निर्माण हेतु अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि अग्रिम राशि के रूप में जमा करवायी जाकर नियमानुसार 90(क) ले–आउट प्लान अनुमोदन पट्टा/लीजडीड आदि की कार्यवाही की जा सकती है एवं इसके उपरान्त आवेदक द्वारा निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर पूर्व में जमा भवन निर्माण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क की राशि को समायोजित कर अन्य देय शुल्क जमा करवाया जाकर निर्माण स्वीकृति जारी की जावे।
2. 90(क) की कार्यवाही से पूर्व भवन विनियम मानदण्डों के अनुरूप निर्माण के अतिरिक्त अवैध निर्माण भी किया गया है तो भवन निर्माण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क एवं बिना स्वीकृति निर्माण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत तथा इसके अतिरिक्त अवैध निर्माण हेतु अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करवायी जाकर आवेदक से अवैध निर्माण एक (01) वर्ष में हटाये जाने हेतु शपथ–पत्र प्राप्त किया जाकर प्रकरण में 90(क) ले–आउट प्लान अनुमोदन पट्टा/लीजडीड की कार्यवाही की जावें एवं आवेदक के शपथ–पत्र प्राप्त किया जावे कि उसके द्वारा भवन विनियमों के मानदण्डों के विरूद्ध किये गये निर्माण को एक (01) वर्ष में स्वयं के द्वारा हटा लिया जावेगा अन्यथा निकाय द्वारा ऐसे निर्माण को हटाया जा सकेगा तथा आवेदक द्वारा जमा करवायी गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जावेगा। निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर अवैध निर्माण हटाये जाने की सुनिश्चितता उपरान्त पूर्व में जमा अग्रिम अनुज्ञा शुल्क को समायोजित कर देय शुल्क जमा करवाकर निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकती है, परन्तु दिये गये शपथ–पत्र अनुसार अवैध निर्माण एक (01) वर्ष में नही हटाये जाने पर निर्माण स्वीकृति जारी नही की जावे एवं धरोहर राशि जब्त कर निकाय निर्माण हटाने हेतु अथवा भवन को सीज करने हेतु स्वतंत्र होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव– प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव– प्रथम